

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(5)2022-23/अ.अ./प्रमुवसं/ 270

दिनांक : 10/2/23

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम 1971 में उपलब्ध शर्तों सहित कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9 (5)/30/कार्मिक क-3/जांच/2004, जयपुर दिनांक 18.11.2006 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष 2022-23 परीक्षाओं में अध्ययन (स्वयंपाठी छात्र के रूप में) अध्ययन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री/श्रीमती/सुश्री)	कार्यालय का नाम	विश्व विद्यालय/ बोर्ड का नाम	परीक्षा का नाम
1	हरिराम, वनपाल	उप वन संरक्षक, नागौर	विश्व विद्यालय मेरठ	बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष
2	राम किशोर मेघवाल, वनरक्षक		एम.डी.एस.यू. अजमेर	एम.ए. प्रीवियस
3	कमलेन्द्र सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	उप वन संरक्षक, नागौर	National Institute of open schooling	12th
4	हिम्मत सिंह मीना, वनरक्षक	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय कोटा	बी.ए.द्वितीय वर्ष
5	विष्णु सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नई दिल्ली	सैकण्डरी
6	पुष्पेन्द्र सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	उप वन संरक्षक, करौली	राजस्थान ओपन बोर्ड	दसवीं
7	रणजीत सिंह रावणा, कनिष्ठ सहायक	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	एम.एल.एस.यू. उदयपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष
8	भंवर लाल, वनरक्षक	उप वन संरक्षक, जोधपुर	वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय कोटा	बी.एस.सी. तृतीय वर्ष
9	अशकर अली, वनपाल	उप वन संरक्षक, इ.गा.न. परियोजना स्टेज-II जैसलमेर	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर	12th

Signature valid

Digitally signed by Deep Karayan
 Pandey
 Designation : Principal Chief
 Conservator Of Forest
 Date: 2023.02.06 14:09:13 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3092767



1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राज सेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में यह स्वीकृति/अनुमति बिना किसी सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
13. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।
14. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

(डॉ. दीपनारायण पाण्डेय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 3(5)2022-23/अ.अ./प्रमुखस/ 271-78

दिनांक 10/2/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
2. उप वन संरक्षक करौली/सवाईमाधोपुर/चित्तौड़गढ़/जोधपुर/नागौर/इ.गा.न.परियोजना स्टेज-आ जैसलमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan Pandey

Designation : Principal Chief Conservator Of Forest

Date: 2023.02.06 14:09:13 IST

Reason: Approved

Z:\D:\GOV\Rajasthan\FileSystem\DMSSStore\DIG\GOV\Intranet\PDF\1675667513479